उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/R/यो.बोर्ड/5/2019/3305
Date 22/08/2019

सेवा में,

1. प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
2. प्रोफेसर सुभाष धूलिया, पूर्व कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. प्रोफेसर बी0एस0 बिष्ट, पूर्व कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।
4. डॉ0 के0 रविकान्त, निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन केन्द्र, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-68।
5. डॉ0 आशुतोष कर्नाटक, निदेशक (परियोजना), गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल भवन, 16 भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।- 110066
6. श्री राकेश ओबराय, ओबराय मोटर्स, देहरादून, 2, ए, रेसकोर्स, देहरादून।
7. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
10. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
11. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
12. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त अधिकारी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. श्री विमल कुमार मिश्र, उपकुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

**महोदय/महोदया,**

दिनांक **22 जुलाई, 2019 (सोमवार)** को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **योजना बोर्ड की 5वीं बैठक** का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

**कुलसचिव/ सचिव, योजना बोर्ड**

**प्रतिलिपि:-** कुलपति जी के वैयक्तिक सहायक को कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

Teenpani Bypass, Haldwani - 263139, Nainital, Uttarakhand तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी – 263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड
**Tel.:** 05946-286 000 • **Toll Free No.:** 1800 180 4025 • **Fax:** 05946-264 232 • **E-mail:** info@uou.ac.in • **Website:** www.uou.ac.in

**दिनांक 22 जुलाई, 2019 (सोमवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रात: 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न योजना बोर्ड की 5वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

**बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रोफेसर ओमप्रकाश सिंह नेगी,<br>कुलपति,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,<br>हल्द्वानी। | अध्यक्ष |
| 2. | प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत,<br>पूर्व कुलपति,<br>कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल। | सदस्य |
| 3. | प्रोफेसर सुभाष धूलिया,<br>पूर्व कुलपति,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल। | सदस्य |
| 4. | प्रोफेसर बी0एस0 बिष्ट,<br>पूर्व कुलपति,<br>गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर। | सदस्य |
| 5. | डॉ0 के0 रविकान्त,<br>निदेशक,<br>इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन केन्द्र,<br>इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-68 | सदस्य |
| 6. | प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र,<br>निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 7. | प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल,<br>निदेशक, मानविकी विद्याशाखा,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 8. | प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे,<br>निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 9. | प्रोफेसर दुर्गेश पंत,<br>निदेशक,<br>कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विद्या शाखा,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | श्री भरत सिंह,<br>कुलसचिव,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | सदस्य सचिव |
| 11. | प्रोफेसर पी0डी0 पंत,<br>परीक्षा नियंत्रक,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | आमंत्रित सदस्य |
| 12. | श्रीमती आभा गर्खाल,<br>वित्त नियंत्रक,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | आमंत्रित सदस्य |
| 13. | श्री विमल कुमार मिश्रा,<br>उपकुलसचिव,<br>उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। | आमंत्रित सदस्य |

सर्वप्रथम कुलसचिव/सदस्य सचिव, योजना बोर्ड द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, योजना बोर्ड तथा सभी उपस्थित सदस्यों का योजना बोर्ड की 5वीं बैठक में स्वागत किया गया। कुलसचिव ने विशेषरूप से योजना बोर्ड की बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, प्रोफेसर सुभाष धूलिया, प्रोफेसर बी0एस0 बिष्ट तथा डॉ0 के0 रविकान्त का स्वागत किया।

तदुपरान्त कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी ने बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों का अभिनन्दन किया व उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर बैठक में प्रतिभाग किया इसके लिए कुलपति जी द्वारा बाह्य सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त करते हुए पुन: योजना बोर्ड के समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति जी द्वारा योजना बोर्ड के दो अन्य सदस्यों डॉ0 आशुतोष कर्नाटक, निदेशक(परियोजना) गेल इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली एवं श्री राकेश ओबराय, ओबराय मोटर्स, देहरादून जो व्यक्तिगत कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके का भी परिचय बोर्ड के समस्त सदस्यों को दिया गया।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को कुलसचिव/सदस्य सचिव, योजना बोर्ड द्वारा बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। योजना बोर्ड द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर विचारोपरान्त प्रस्तावों पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया:-

**प्रस्ताव संख्या-05.01- योजना बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 20.02.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में।**

प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि योजना बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 20.02.2017 के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि कार्यवृत्त में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथा समय अवगत करा दिया जाय, इस पर किसी भी सदस्य से कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। योजना बोर्ड द्वारा अवगत होते हुए सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि को अनुमोदित किया गया।

**प्रस्ताव संख्या-05.02- योजना बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 20.02.2017 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।**

योजना बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 20.02.2017 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के बिन्दु संख्या-4.07, 4.10, 4.11 एवं 4.14 पर योजना बोर्ड द्वारा निम्नानुसार मत व्यक्त किया गया:-

**4.07- विश्वविद्यालय में अकादमिक नियोजन:-** इस बिन्दु पर प्रोफेसर सुभाष धूलिया ने मत व्यक्त किया कि लम्बे समय से रिक्त पदों को अतिशीघ्र पूरित किये जाने की कार्यवाही की जाय। चर्चा के दौरान कुलपतिजी द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि संबंधित प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है पूर्व से रिक्त पद एवं आवश्यकता के दृष्टिगत और अतिरिक्त पदों की मांग भी शासन से की गई है जिन्हें पूरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

**4.10- महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति के निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा गोद ली गयी पॉच ग्राम सभाओं के संबंध में:-** प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत द्वारा संबंधित प्रस्ताव पर जानकारी चाही गयी जिस पर प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र एवं प्रोफेसर दुर्गेश पंत द्वारा विस्तृत जानकारी देते हुए योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा पॉच ग्राम सभाओं को गोद लिया गया है इन ग्राम सभाओं के निवासियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय मुख्यालय में संचालित मॉडल अध्ययन क्रेन्द्र में प्रवेश लेने पर विशेश छूट प्रदान की जा रही है तथा समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे- योग, स्वास्थ्य आदि के अन्तर्गत शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है। प्रोफेसर राजूपत द्वारा सुझाव दिया गया कि विभिन्न विद्याशाखा निदेशकों को एक-एक गॉव की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जो ग्राम वासियों में कम्प्यूटर शिक्षा, औषधीय पौधों, नशा मुक्ति आदि जन जागरूकता से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। प्रोफेसर धूलिया द्वारा मत व्यक्त किया गया कि इतिहास, समाजशास्त्र आदि विषयों में शोध कर रहे शोधार्थी भी गॉवों में जाकर इन विषयों में शोध कर सकते हैं। कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों की सराहना करते हुए भविष्य में इस पर कार्य किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

**4.11- विश्वविद्यालय हेतु प्राथमिक चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के संबंध में:-** योजना बोर्ड के नवनियुक्त सदस्यों- प्रोफेसर राजपूत, प्रोफेसर धूलिया, प्रोफेसर बिष्ट एवं डॉ0 रविकान्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया गया जिस पर कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गये गॉवों के निवासियों, पंजीकृत विद्यार्थियों एवं कार्यरत कार्मिकों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत एक प्राथमिक आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है जिस हेतु एक सहायक प्राध्यापक, आयुर्वेद भी नियुक्त हैं तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताओं को संकलित किया जा रहा है। योजना बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के इस प्रयास की सराहना की गयी।

**4.14- विश्वविद्यालय में आई0टी0 अकादमी स्थापित किये जाने के संबंध में:-** प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर दुर्गेश पंत द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि दिनांक 26 जुलाई, 2016 को यू-सर्क के तत्वाधान में एम0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी में आयोजित सेमिनार कार्यक्रम में मा0 उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई0टी0 अकादमी स्थापित किये जाने की घोषणा की गयी। शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में दिनांक 08 सितम्बर, 2016 को विश्वविद्यालय में आई0टी0 अकादमी के निर्माण का शिलान्यास किया गया। आई0टी0 अकादमी का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है। आई0टी0 अकादमी की स्थापना के लिए ₹ 1 करोड़ 45 लाख का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। योजना बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि की सराहना की गयी तथा प्रोफेसर राजपूत द्वारा अपेक्षा की गयी कि शासन से बजट प्राप्त किये जाने हेतु

विश्वविद्यालय स्तर से और अधिक प्रयास किये जाय ताकि विश्वविद्यालय में आई0टी0 अकादमी स्थापित किये जाने का उद्देश्य यथासमय पूर्ण हो सके।

उक्त के अतिरिक्त योजना बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 20.02.2017 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के शेष बिन्दुओं पर योजना बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी।

**प्रस्ताव संख्या 05.03- विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की 12वीं बैठक दिनांक 09.07.2019 की संस्तुतियों के संबंध में।**

प्रस्ताव पर कुलपति जी द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12(बी) के अधीन निर्धारित न्यूनतम आवश्यक आधारभूत ढांचे की उपलब्धता हेतु 40 से 60 एकड़ भूमि की आवश्यकता है जबकि विश्वविद्यालय के पास 25 एकड़ भूमि है जिस कारण विश्वविद्यालय को 12(बी) की मान्यता नहीं मिल पा रही है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विश्वविद्यालयों को इस नियम के तहत शिथिलता प्रदान किये जाने का अनुरोध यू0जी0सी0 से किया जा रहा है जो विचाराधीन है। प्रोफेसर राजपूत द्वारा मत व्यक्त किया गया कि निर्माण कार्य समय बद्ध किये जाने हेतु संबंधित संस्था को निर्देशित किया जाय। प्रोफेसर धूलिया ने सुझाव दिया कि शासन से वित्तीय अनुदान मिलने तक विश्वविद्यालय द्वारा स्वंय के संसाधनों से निर्माण कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत करायें जा सकते हैं। प्रोफेसर बिष्ट ने सुझाव दिया कि पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन कैम्पस बनाया जाय। योजना बोर्ड द्वारा सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी तदुपरान्त विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 05.04- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12(बी) के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में।**

कुलसचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12(बी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में प्रस्तावित निर्माण कार्यों- कुलपति आवास, अतिथिगृह, टाइप-2, टाइप-4 आवास, बहुउद्देशीय सभागार, पुस्तकालय भवन, छात्रावास की डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु शासन द्वारा घोषित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को निर्देशित किया गया है जिसके क्रम में उक्त संस्था द्वारा प्रथम चरण में कुलपति आवास, टाईप-2 आवास एवं अतिथिगृह की डी0पी0आर0 तैयार कर उपलब्ध करा दी गयी है जिसे प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर योजना बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए मत व्यक्त किया गया कि डी0पी0आर0 की स्वीकृत के उपरान्त शासन से बजट आवंटित होने की प्रत्याशा में विश्वविद्यायलय द्वारा स्वंय के वित्तीय संसाधनों से भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा सकता है।

**प्रस्ताव संख्या 05.05- दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विश्वविद्यालयों हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 जून, 2017 के अनुसार शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों के सृजन के संबंध में।**

सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विश्वविद्यालयों हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 जून, 2017 के आलोक में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों के सृजन का प्रस्ताव सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया है। योजना बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 05.06- विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों यथा- परीक्षा, एम0पी0डी0डी0 एवं भण्डार हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के संबंध में।**

सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में एम0पी0डी0डी0, परीक्षा एवं भण्डार में सामग्रीयों के रख-रखाव हेतु आवश्यकता के दृष्टिगत बड़े हॉल की अति आवश्यकता है जिस पर योजना बोर्ड द्वारा उक्त अनुभागों में प्राथमिकता के दृष्टिगत भवन निर्माण कराये जाने का अनुमोदन किया गया। डॉ0 रविकान्त द्वारा सुझाव दिया गया कि manual कार्य कम किया जाय तथा Digital mode पर अधिक ध्यान दिया जाय जिससे भण्डारण आदि की समस्याओं का सामना न करना पड़े। योजना बोर्ड द्वारा डॉ0 रविकान्त के सुझाव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 05.07- विश्वविद्यालय में स्वयं के अन्य आय के स्रोत से भविष्य में भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 (बी) के मानकों के अन्तर्गत सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से भवन निर्माण कराया जाना अपरिहार्य व अति आवश्यक है जिस हेतु समय-समय पर शासन को बजट उपलब्ध कराये जाने हेतु आग्रह किया जाता रहा है परन्तु बजट समयान्तर्गत पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे विश्वविद्यालय की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा स्वंय के संसाधनों से अर्जित धनराशि एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय के उपरान्त जो धनराशि बचत के रूप में शेष है उसके लिए एक कॉरपस फण्ड बनाया गया है। योजना बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी कि शासन से बजट उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा स्वंय के आय स्रोत से आवश्यकतानुसार भवन निर्माण का कार्य सुनिश्चित किया जाय।

**प्रस्ताव संख्या 05.08- विश्वविद्यालय हेतु भविष्य में निर्माणाधीन भवनों में क्रेन्द्रीयत वातानुकूलन एवं सोलर पॉवर की व्यवस्था डी0पी0आर0 में कराये जाने के संबंध में विचार।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर योजना बोर्ड द्वारा मत व्यक्त किया गया कि भविष्य में निर्माणाधीन भवनों में क्रेन्द्रीयत वातानुकूलन की व्यवस्था न की जाय बल्कि कार्य की प्रकृति के अनुसार ही वातानुकूलन की व्यवस्था अलग से की जाय जिससे अनावश्यक रूप से संसाधनों का दोहन न हो सके। साथ ही यह भी मत व्यक्त किया गया कि सोलन पॉवर प्लान्ट स्थापित किये जाने पर अधिक बल दिया जाय। प्रोफेसर बी0एस0 बिष्ट द्वारा सुझाव दिया गया कि अपशिष्ट पदार्थों (waste material) पर अधिक कार्य किया जाय जिस हेतु अन्य संस्थानों जैसे गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर अथवा अन्य संस्थान जहॉ इस तरह के पॉवर प्लान्ट स्थापित किये गये हैं की सहायता से कचरे (Garbage) का उपयोग कर सोलर पॉवर प्लान्ट संचालित किया जा सकता है। योजना बोर्ड द्वारा उक्तानुसार सदस्यों से प्राप्त सुझावों की सराहना की गयी तथा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी कि भविष्य में भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ होने पर विश्वविद्यालय द्वारा इन सुझावों के अनुरूप कार्य किया जा सकता है।

**प्रस्ताव संख्या 05.09- विश्वविद्यालय में कार्यरत अकादमिक परामर्शदाताओं के नियोजन के संबंध में विचार।**

संबंधित प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2010 से विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय अध्यादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रत्येक छः माह की समयावधि हेतु अकादमिक परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं जिनके द्वारा शिक्षण से संबंधित समस्त कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं किन्तु इन्हें शिक्षण एवं शोध कार्य का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। योजना बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी कि संबंधित अकादमिक परामर्शदाताओं को शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 (अधिसूचना संख्या-271 दिनांक 18 जुलाई,2018) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों में सहायक

आचार्यों के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड तालिका 3 क के बिन्दु संख्या-7 के क्रम में अधिकतम 10 अंकों का लाभ दिया जा सकता है। शासन से पद सृजित कराकर स्वंय के स्रोतों से पद के सापेक्ष इन्हें उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, 31 सी के तहत विनियमित भी किया जा सकता है।

**प्रस्ताव संख्या 05.10- शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित आउटसोंस के माध्यम से पूरित किये जाने वाले पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों के नियोजन के संबंध में विचार।**

प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा योजना को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से विश्वविद्यालय हेतु वर्ष 2010 में कुल 77 पद आउटसोंस के माध्यम से पूरित किये जाने हेतु सृजित किये गये जिनके सापेक्ष बाह्य सेवा प्रदाता संस्था हिन्ट्रान/उपनल के माध्यम से कार्मिकों की नियुक्ति की गयी। उक्त 77 पदों में से 18 पद विश्वविद्यालय स्थापना से कार्यरत कार्मिकों हेतु चिन्हित किये गये थे जिनमें से शासन द्वारा 12 पद लिपिकीय संवर्ग में परिवर्तित किये गये हैं तथा 03 पद वाहन चालक एवं 04 पद चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों हेतु सृजित किये गये हैं। जिन पर लिपिकीय संवर्ग एवं वाहन चालक के रूप में कार्यरत कार्मिकों को विश्वविद्यालय द्वारा विनियमितकरण नियमावली 2013 के तहत विनियमित कर दिया गया है। शेष 58 पदों पर 29 तृतीय एवं 14 चतुर्थ श्रेणी कुल 43 कार्मिक नियोजित हैं, जिनमें से अधिकांश कार्मिकों की लगभग 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है। शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 से कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली व्यक्तिगत परीक्षा व्यवस्था को समाप्त करते हुए व्यक्तिगत परीक्षा व्यवस्था को भी दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित की गयी है। शासन के इस निर्णय के फलस्वरूप यह आवश्यकीय हो गया है कि कार्मिकों की नियमित नियुक्ति की जाय। योजना बोर्ड द्वारा मत व्यक्त किया गया कि शिक्षणेत्तर कार्मिकों की विश्वविद्यालय कार्यों के सम्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अत: ऐसे पदों पर नियमित नियुक्ति अति आवश्यक है, आउटसोर्स के उक्त पद भी शासन द्वारा ही सृजित किये गये हैं। प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त योजना बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्त सृजित आउटसोर्स के पदों को नियमित पदों में परिवर्तित कर कार्यरत कार्मिकों को कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है। चूंकि ये पद शासन द्वारा ही सृजित किये गये हैं अत: इन्हें आउटसोर्स से हटाकर नियमित पदों में परिवर्तित किया जा सकता है। उक्त पदों पर पड़ने वाला अतिरिक्त व्ययभार विश्वविद्यालय द्वारा स्वंय के संसाधनों से वहन किया जाय।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों पर चर्चा के उपरान्त कुलसचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि योजना बोर्ड के सदस्य डॉ0 आशुतोष कर्नाटक, निदेशक(परियोजना) गेल इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा व्यक्तिगत कारणों से बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जा सका किन्तु उनके द्वारा ई-मेल के माध्यम से विश्वविद्यालय में कुछ नवीन पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु सुझाव प्रेषित किये गये हैं जो निम्नानुसार योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हैं:-

1. Introduction of Project Management Course-
   - Project Management.

- Contract Management.
- Financial Management
- Developing Negotiation Skills
- Digital Technologies for Project Management

**2.** Certificate Course on Positive Thinking.

डॉ0 आशुतोष कर्नाटक के सुझावों की योजना बोर्ड द्वारा सराहना की गयी तथा विद्यार्थी हित में उक्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त निम्नानुसार नवीन डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय विद्या परिषद के अनुमोदनोपरान्त आरम्भ किये जाने का सुझाव दिया गया:-

1. Seed Technology
2. Soil Testing
3. Cultivation of Medicinal Plant.
4. Certificate course in Multimedia
5. Usage of Garbage
6. Organic Compost
7. Television Programme (Gyan Darshan)
8. Cultural Informatics
9. Vocational skill development Courses

उक्त के अतिरिक्त योजना बोर्ड द्वारा मत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को जन साधारण तक पहुँचाने हेतु कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को अपने चैनल Television Programme (Gyan Darshan) पर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोग्राम संचालित किये जाने हेतु आग्रह किया जाय। साथ ही एक Multimedia Lab तथा Electronic Media Production Centre (EMPC) बनाया जाय जिस हेतु कैमरामैन, प्रोडूसर, वीडियोग्राफर आदि पद सृजित करायें जाय।

**प्रस्ताव संख्या 05.11- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**

1. **विश्वविद्यालय स्थापना से कार्यरत 04 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के नियोजन के संबंध में विचार:-** प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा योजना बोर्ड को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष 2005-06 से निश्चित मानदेय पर नियोजित 04 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या-983/XXIV(6)/2016-133/2012, दिनांक 10.11.2016 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी के 04 नियमित/अस्थाई पद इस प्रतिबन्ध के साथ सृजित किये गये हैं कि विनियमित होने वाले कार्मिकों के पद त्याग, सेवानिवृत्त तथा आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में पद स्वंय समाप्त समझे जायेगें, किन्तु उक्त शासनादेश में वेतनमान में आउटसोर्स अंकित होने के कारण प्रश्नगत कार्मिकों को अन्य कार्मिकों की भांति विनियमित नहीं किया जा सका। इस संबंध में समय-समय पर शासन को वेतनमान आउटसोर्स के

स्थान पर वेतन बैन्ड 5200-20200 ग्रेड वेतन 1800/- में संशोधित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये, जिसके प्रतिउत्तर में दिनांक 03 जून, 2019 को प्रेषित पत्र के माध्यम से शासन द्वारा सूचित किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों को नियमित पदों में परिवर्तित करने का कोई प्राविधान नहीं है, जो पद पूर्व से अर्थात् षष्टम वेतनमान की संस्तुतियां प्राप्त होने से पूर्व सृजित हैं, उन्हें मृत घोषित किया गया है। योजना बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिस समय संबंधित कार्मिकों को विश्वविद्यालय कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत नियोजित किया गया था उस समय उक्त पद मृत संवर्ग में नहीं थे अत: इन कार्मिकों के पूर्व नियोजन के आधार पर इन्हें मृत संवर्ग में स्वयं के संसाधनों के आधार पर विनियमित कर दिया जाय। उक्त कार्मिकों के पद त्याग, सेवानिवृत्त तथा आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में ये पद स्वंय समाप्त माने जायेगें।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त योजना बोर्ड के सदस्य सचिव/ कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

कुल सचिव
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, योजना बोर्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Approved
22/8/19

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी-263139 (नैनीताल)